यदि ब्याज की दर बैंक दर के बढ़ने के कारण बढ़ जाती है तो पूंजी वस्तुओं जैसे प्लांट, मशीनों और संयन्त्रों को धारण करने की लागत बढ़ जाती है जिससे लाभ की मात्रा कम हो जाती है। इससे व्यापारियों और निवेशकों का उत्साह कम होता है। जब ऋण लेने की लागत बढ़ गई है तो उधार लेने वाले इन वर्गों में ऋण प्राप्त करने का झुकाव नहीं होता। कई पूंजी परियोजनाओं को इस कारण स्थगित कर दिया जाता है क्योंकि निवेशक अपने ऊपर दीर्घकालीन ब्याज की देनदारी का भारी बोझ नहीं उठाना चाहते। इससे बैंकिंग प्रणाली की साख क्रियाएं प्रतिकूल प्रोत्साहन प्रभाव के कारण घटती हैं। रैडक्लिफ कमेटी ने इस तर्क को केवल सैद्धान्तिक दृष्टिकोण माना। वास्तव में निवेश क्रिया सामान्यतया ब्याज-निरपेक्ष (interest-inelastic) होती है। ऋणों की लागत कुल उत्पादन लागत का इतना मामूली भाग है कि व्यापारी और निवेशक ब्याज दर में परिवर्तनों के कारण अपनी योजनाओं को नहीं बदलते। ब्रिटेन से राष्ट्रीयकृत उद्योगों के अध्ययन के आधार पर कमेटी ने यह प्रदर्शित किया कि निवेश क्रिया ब्याज की दर में परिवर्तनों से स्वतन्त्र है। उनका पूंजी विकास ब्याज दर में परिवर्तनों से नहीं बल्कि वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति अथवा प्रशासनिक तत्वों से प्रेरित था। केवल बहुत सीमान्त अवस्थाओं में ही ब्याज की दरें उद्यमियों की निवेश क्रियाओं पर कोई निश्चित प्रभाव रख सकती हैं।

सामान्य तरलता प्रभाव का सम्बन्ध ऋण देने वालों के व्यवहार के साथ है। ब्याज की दर में परिवर्तनों से प्रतिभूतियों की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। निकट-मुद्रा प्रतिभूतियों के धारकों की तरलता स्थिति में परिवर्तन होता है। जब बैंक दर कम होती है तो ब्याज की दर भी कम हो जाती है और वित्तीय परिसम्पत्तियों का मूल्य बढ़ जाता है। इन परिस्थितियों में वित्त संस्थायें निवेश के अवसरों की खोज शुरू करती हैं। इससे उल्ट परिस्थिति में, बैंक दर में वृद्धि और उसके फलस्वरूप ब्याज दर में वृद्धि से परिसम्पत्तियों की कीमतों में कमी होती है। प्रतिभूतियों के मूल्य-ह्रास के कारण इनके आधार पर वित्त संस्थायें उधार देने का कम झुकाव रखती हैं। यह ब्याज की दर में परिवर्तनों का सामान्य तरलता प्रभाव है।

यद्यपि कमेटी ने माना कि सामान्य तरलता प्रभाव का प्रोत्साहन प्रभाव से महत्त्व अधिक है, फिर भी जब दोनों प्रभावों को इकट्ठे लिया जाता है तो स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि ब्याज की दर के परिवर्तनों के सामान्य साख और आर्थिक क्रिया पर प्रभाव बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं हैं।

29.6. बैंक दर नीति की सीमायें (Limitations of Bank Rate Policy)

बैंक दर नीति की मुख्य सीमायें (limitations) निम्नलिखित हैं—

(i) बैंक दर तथा अन्य दरों की संवेदनशीलता की दर्जा (Degree of sensitiveness of other rates to bank rate) : बैंक दर नीति इस मूल मान्यता पर आधारित है कि बैंक दर में परिवर्तनों और मुद्रा दरों में ऐसे दर्जे की संवेदनशीलता पाई जाती है। बैंक दर में थोड़े से परिवर्तन से बाज़ार में विद्यमान अन्य दरें सरलता और तीव्रता से परिवर्तित होती हैं। इस प्रकार अन्य मुद्रा दरों में परिवर्तन से साख की स्थिति प्रभावित होती है। ऐसी सारी अवस्थाओं में जब बैंक दर ऐसे परिवर्तन लाने में असफल होती है तो इस नीति में साख की लागत या उपलब्धता को प्रभावित करने की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है।

(ii) आर्थिक प्रणाली में कठोरतायें (Rigidities in the economic system) : बैंक दर नीति में मान लिया है कि अर्थव्यवस्था का ढांचा काफी लोचपूर्ण है। साख की लागत में परिवर्तनों से मज़दूरी, कीमतों, लागतों, उत्पादन, रोज़गार और निवेश पर प्रभाव पैदा हो सकते हैं। परन्तु आर्थिक प्रणाली में स्वर्णमान को छोड़ने, अधिक प्रत्यक्ष साख और विदेश विनिमय नियन्त्रणों को लागू करने, आय और कीमतों को नियन्त्रित करने में सरकार के बढ़े हुए हस्तक्षेप तथा मज़दूरों और उत्पादकों के संगठनों के अधिक शक्तिसम्पन्न होने आदि कठोरताओं के कारण बैंक नीति साख पर नियन्त्रण करने में बहुत प्रभावहीन हो गई है।

(iii) निवेश फलन की ब्याज लोचहीनता (Interest inelasticity of investment function) : इस नीति में निवेश मांग को ब्याज-सापेक्ष माना गया है। तेजी के समय में बैंक दर में वृद्धि से ब्याज दरों में वृद्धि होने से इससे निवेश में कमी होती है और तेज़ी अथवा स्फीति को रोका जा सकता है। मन्दी के समय में बैंक दर और ब्याज दर में कमी से निवेश का फैलाव होता है और आर्थिक क्रिया में विस्तार होने लगता है। वास्तव में निवेश ब्याज दर से स्वतन्त्र है। इस कारण बैंक दर में परिवर्तन से आर्थिक क्रिया को प्रभावित नहीं किया जा सकता।

(iv) व्यापारिक बैंकों के पास अतिरिक्त नकद (Surplus cash with commercial banks) : व्या

...पर विशिष्ट क्षेत्रों के लिए साख को उपलब्ध कराया ...। ये नियन्त्रण साख की कुल मात्रा में वृद्धि या ...के लिए नहीं अपनाये जाते बल्कि ये आवश्यक और ...क, उत्पादक और अनुत्पादक अथवा उचित और ...साख के प्रयोग में चयन (selection) करते हैं। ...चनात्मक साख नियन्त्रणों (selective credit ...) में मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन, उपभोक्ता ...का नियमन, साख राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक ...और प्रचार सम्मिलित हैं। इनकी व्याख्या अगले ...खण्डों में की गई है।

29.14. मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन (Variations in Reserve Require-ments)

साख नियन्त्रण के इस ढ़ंग का सार यह है कि बैंक ...ऋण कुछ प्रतिभूतियों के विरुद्ध देते हैं तो ऋणी द्वारा ...को प्रस्तुत प्रतिभूति के पूरे मूल्य के समान ऋण नहीं ...। प्रतिभूति के मूल्य और ऋण की राशि में कुछ अन्तर ...रखा जाता है जिसे मार्जिन कहा जाता है। यह मार्जिन ...भुगतान और ऋण के सौदे में किसी प्रकार की हानि को ...पूरा करने के लिए होता है। यह हानि प्रतिभूति के मूल्यह्रास ...या ऋणी द्वारा वापिस ऋण का भुगतान न करने की स्थिति ...में हो सकती है। उदाहरण के लिए एक उद्योगपति बैंक के ...पास 50 करोड़ रुपये का कपास का भंडार प्रतिभूति के रूप ...में रखता है और इसके बदले में ऋण लेना चाहता है। यदि ...बैंक 40 करोड़ रुपये का ऋण जो कि प्रतिभूति का 80 ...प्रतिशत है, दे देता है तो इसका अर्थ है कि कपास की ...प्रतिभूति पर बैंक का मार्जिन 20 प्रतिशत है। केन्द्रीय बैंक ...भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर मार्जिन आवश्यकताएं निर्धारित ...करता है। यदि केन्द्रीय बैंक का लक्ष्य है कि कुछ वस्तुओं ...में सट्टे के सौदों को रोका जाये अथवा वह कुछ आवश्यक ...वस्तुओं की अजमाखोरी (dishoarding) को प्रोत्साहित करना ...चाहता है तो वह उन वस्तुओं पर मार्जिन आवश्यकताओं ...को बढ़ा देगा। मार्जिन के बढ़ाये जाने से उन लोगों का ...ऋण लेने का सामर्थ्य कम हो जाता है जो उन वस्तुओं की ...प्रतिभूति पर ऋण लेते हैं। यदि केन्द्रीय बैंक चाहता है कि ...बैंक के ऋणों में वृद्धि हो तो वह मार्जिन कम कर देता है। ...ऋणी महसूस करते हैं कि प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋण ...लेने का समय उचित है।

साख नियन्त्रण का यह ढ़ंग बहुत सरल और ...लागू की दृष्टि से आसान है। इसे सट्टे के सौदों को बिना अर्थव्यवस्था में साख की कुल उपलब्धता को घटाये रोकने में सहायता मिलती है। हाल के दशकों में भारत जैसे कई कम विकसित देशों में इस उपकरण का प्रयोग सट्टा तथा अनाज, कपास, तेल, तेल के बीजों इत्यादि की जमाखोरी को रोकने के लिए किया गया है। एक देश में मार्जिन आवश्यकताओं में उचित परिवर्तनों के द्वारा मौद्रिक स्थिरता पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके उचित प्रयोग से अनावश्यक मौद्रिक विस्तार और संकुचन पर कठोर नियन्त्रण रखा जा सकता है। यह बहुत प्रभावपूर्ण स्फीति-विरोधी यन्त्र भी हो सकता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के स्फीति के प्रति अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में उत्पादन के स्तर पर बुरा प्रभाव डाले बिना साख के विस्तार पर अंकुश लगा सकता है।

यह उपकरण यद्यपि काफी प्रभावपूर्ण है पर यह मौद्रिक प्रणाली के अच्छे या बुरे कार्यकरण की पूरी जिम्मेदारी अकेले केन्द्रीय बैंक पर डाल देता है। इसके प्रभावपूर्ण कार्य के लिए आवश्यक है कि गैर-उद्देश्य ऋणों के द्वारा साख के सट्टे से सम्बन्धित प्रयोग में रिसाव (leakage) की कोई सम्भावना नहीं रहनी चाहिए।

29.15. उपभोक्ता साख का नियमन (Regulation of Consumer Credit)

साख नियन्त्रण का यह ढ़ंग सबसे पहले अमेरिका में 1941 में प्रयोग किया गया ताकि युद्ध के सालों में उपभोग के खर्च को कम रखा जा सके। इस ढ़ंग के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह व्यापारिक बैंकों द्वारा दिये गये उपभोक्ता ऋणों का उचित विनियमन करने के लिए इस सम्बन्ध में शर्तें और हालतें निर्धारित करे। इस विधि से टिकाऊ उपभोग वस्तुओं जैसे मकानों, फर्नीचर और अन्य घरेलू उपकरणों की खरीद को विनियमित किया जाता है। केन्द्रीय बैंक न्यूनतम भुगतान और भुगतान की अधिक से अधिक अवधि में उचित परिवर्तन करता है। न्यूनतम भुगतान (minimum down payment) में वृद्धि करने से कुछ विशेष टिकाऊ उपभोग वस्तुओं की खरीद के लिए साख की मांग कम हो जाती है। इसी प्रकार पुनः भुगतान के लिए समय की अवधि में कमी करने से उपभोक्ता साख की मांग कम हो जाती है और अत्यधिक उपभोग खर्च कम हो जाता है। संकुचन के समय में न्यूनतम भुगतान राशि को कम करने से और पुनः भुगतान के लिए समय की अवधि को बढ़ा देने से उपभोक्ता साख की मांग में वृद्धि हो जाती है।

बढ़ती हुई आय और दुर्लभताओं के समय में जब इनके कारण स्फीतिक दबाव बढ़ जाते हैं तो उपभोक्ता साख पर रोक लगाना आवश्यक हो जाता है। उपभोक्ता साख का विनियमन, जो स्फीति को रोकने के लिए अधिक व्यापक और मूल राजकोषीय और अन्य सरकारी उपायों का पूरक उपकरण है, स्फीति पर रोक लगाने के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उपभोक्ता साख की शर्तों को नर्म करने जैसे न्यूनतम भुगतान को कम करने, पुनः भुगतान के लिए अवधि को बढ़ा देने और ब्याज की दर को घटा देने से संकुचन के झुकावों को रोकने में सहायता मिलती है।

यह ढ़ंग अधिक प्रत्यक्ष और प्रभावपूर्ण है और इसका उन देशों में महत्त्व अधिक है जहां उपभोक्ता मांग का ऊंचा अनुपात किश्त भुगतान (instalment payments) और किराया-खरीद स्कीमों (hire purchase schemes) के रूप में है। कम विकसित देशों में, जहां उपभोग मांग अनाज और कपड़े जैसी आवश्यकताओं तक सीमित होता है, बैंकिंग प्रणाली कम विकसित होती है और खरीदने की किश्त-भुगतान और विलम्बित भुगतान जैसी रीतियां विद्यमान नहीं हैं, इस ढ़ंग का महत्त्व बहुत कम है। इसके अतिरिक्त इस उपकरण में प्रशासन और लागू करने सम्बन्धी कठिनाइयां हैं। सामान्य शान्तिपूर्ण स्थितियों में इस ढ़ंग की उपयोगिता सन्देहपूर्ण हो जाती है जब कि उपभोक्ता की खरीदों पर रोक को उचित ठहराना कठिन होता है। इसलिए यह विवादपूर्ण है कि इसे संकट की परिस्थितियों में अथवा दीर्घकाल में जब सामान्य हालतें हों तब अपनाना चाहिए।

29.16. साख राशनिंग (Credit Rationing)

साख को कुछ विशेष ऋण लेने वालों की श्रेणियों और कुछ विशेष उद्देश्यों तक सीमित रखने के लिए अधिक प्रत्यक्ष उपकरण जो हाल के दशकों में अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा है, वह साख नियन्त्रण का उपकरण है। इसमें व्यापारिक बैंकों की कुल निवेश सूचियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करना शामिल है। ऐसी सीमा निर्धारित की जाती है जिससे ऋणों को और बढ़ने नहीं दिया जाता। विभिन्न श्रेणियों के ऋण लेने वालों के लिये केन्द्रीय बैंक के द्वारा ऋणों की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी जाती है जो व्यापारिक बैंक अवश्य पालन करते हैं। साख राशनिंग का एक और रूप यह है कि विभिन्न प्रकार की कुल परिसम्पत्तियों और व्यापारिक बैंकों की पूंजी में एक न्यूनतम अनुपात निश्चित कर दिया जाता है। इस अनुपात को परिवर्ती पूंजी परिसम्पत्तियों का अनुपात कहा जाता है। केन्द्रीय बैंक समय-समय पर इसे बदल सकता है।

इस ढ़ंग का प्रयोग सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 18वीं शताब्दी के अन्त में किया था, जब उसने विशेष बैंक को दी गई पुनर्बट्टा सुविधाओं पर अधिकतम सीमा निश्चित कर दी थी। परन्तु पहले विश्व युद्ध के बाद से इसे बहुत से देशों द्वारा अपनाया गया।

साख नियन्त्रण का यह ढ़ंग बहुत प्रभावपूर्ण है और शीघ्र प्रभाव डालने वाला है। ऐसे मुद्रा बाजारों में जहां कुछ बड़ी वित्त संस्थायें पाई जाती हैं जिनकी शाखाएं देश के सभी भागों में फैली हुई हैं, साख कोटा निर्धारण के केन्द्रीय बैंक के द्वारा उन्हें निर्धारित सीमा से अधिक ऋण प्रदान करने की मनाही करने का आर्थिक क्रियाओं पर निश्चित रूप में बाधक प्रभाव होता है। साख नियन्त्रण के यह ढंग निःसन्देह आर्थिक नीतियों को लागू करने के क्षेत्र में एक बहुत महत्त्वपूर्ण तत्व है परन्तु इसका प्रयोग केवल साख के संकुचन तक सीमित है। मन्दी के समय में इस ढ़ंग से उचित परिणाम प्राप्त होने की संभावना नहीं है।

साख राशनिंग का उपकरण स्वभाव से भेदपूर्ण है। यह बड़े बैंकों पर छोटी संस्थाओं की तुलना में अधिक तीव्र प्रभाव डालता है। यह बड़े बैंकों पर कठोर नियम लागू करता है जिससे वे अपनी स्वतन्त्र साख और ऋण नीतियों का ठीक ढ़ंग से अनुसरण नहीं कर सकते। यह ढ़ंग दण्ड देने वाला है और इसके कारण बैंकिंग संस्थाओं में भारी नाराज़गी पैदा होती है। साख नियन्त्रण उन अर्थव्यवस्थाओं में अधिक उपयुक्त है जहां पर आर्थिक क्रियाओं के स्वतन्त्र कार्य को कुछ हद तक नियंत्रित किया गया है। साख नियन्त्रण का यह शस्त्र केन्द्रीय बैंक के अन्तिम ऋणदाता के रूप में कार्य के साथ मेल नहीं रखता।

29.17. प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action)

साख के विस्तार को रोकने के लिए यह अधिक कठोर और दण्ड देने वाला शस्त्र है। इसे या तो बैंक दर और खुले बाज़ार की क्रियाओं के विकल्प के रूप में या उनके साथ प्रयोग किया जाता है। इस विधि में केन्द्रीय बैंक उन बैंकों को निर्देश (directives) जारी करता है जिनकी उधार देने की नीतियां केन्द्रीय बैंक की साख नीति के विरुद्ध होती हैं या जिनके केन्द्रीय बैंक